



सूचना का अधिकार

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ 3 (1) 2024-25/सू.अ./प्रमुवसं/लो.सू.अ./

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक सम/1233 दिनांक 30.07.2019 द्वारा लोक प्राधिकरण वन विभाग में विभिन्न कार्यालयों के सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी नियुक्त किए गये थे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1(2) 2008/कार्मिक-राज/प्रमुवसं-02211/8837110 दिनांक 10.07.2024 द्वारा इस कार्यालय के अपीलीय अधिकारी अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) राज. जयपुर के स्थान पर इनके द्वारा संपादित किये जा रहे कर्मा को मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं जांच जयपुर द्वारा संपादित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं। इसके फलस्वरूप इस कार्यालय के उक्त आदेश दिनांक 30.07.2009 के क्रम संख्या 1 के कॉलम 4 में अपीलीय अधिकारी अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) के स्थान पर मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं जांच जयपुर को नियुक्त किया जाता है।

साथ ही इस कार्यालय के आदेश क्रमांक सम/1233 दिनांक 30.07.2019 द्वारा क्रम संख्या 2 पर कॉलम 4 में अपीलीय अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राज. जयपुर को नियुक्त किया हुआ है। अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राज. जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक एफ (2) सू.अ./प्रमुवसं/काआवब/2015-16/2075 दिनांक 11.07.2024 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राज. जयपुर का पद पदस्थापन/स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण उक्त पद पर अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राज. जयपुर पदस्थापित होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में मेपिंग कराने के अनुरोध पर इन्हें उक्त के स्थान पर अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं।

870

(के.सी.ए.अरुण प्रसाद)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 3 (1) 2024-25/सू.अ./प्रमुवसं/लो.सू.अ./ 1345-1444 दिनांक 12.07.2024
प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज. जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राज. जयपुर/विकास/प्रशासन/निदेशक, आर.एफ डब्लू. टी. आई., जयपुर/अध्यक्ष, राजस्थान जैव विविधता मण्डल जयपुर।
4. समस्त अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर एवं अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राज. जयपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षकगण/मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं जांच जयपुर।
6. समस्त उप वन संरक्षकगण।
7. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, अरण्य भवन, जयपुर को दी जाकर लेख है कि उक्त सूची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर प्रदर्शित करावे।
8. नोटिस बोर्ड।

SW

(सुदीप कौर)

लोक सूचना अधिकारी

वन संरक्षक (समन्वय)

कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

राजस्थान जयपुर